न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 01/2021 दायरा दिनांक 01.02.2021

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. सूरजसिंह पुत्र माना जाति किराड निवासी औगाढ़ तहसील शाहबाद, जिला बारां।
2. बारेलाल पुत्र माना जाति किराड निवासी औगाढ़ तहसील शाहबाद, जिला बारां।
3. जानकीलाल पुत्र माना जाति किराड निवासी औगाढ़ तहसील शाहबाद, जिला बारां।
4. सन्तो पुत्री माना जाति किराड निवासी औगाढ़ तहसील शाहबाद, जिला बारां।
5. नवलो पुत्री माना जाति किराड निवासी औगाढ़ तहसील शाहबाद, जिला बारां।
6. मुन्नी पुत्री माना जाति किराड निवासी औगाढ़ तहसील शाहबाद, जिला बारां।

–अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला – बारां, राजस्थान ।

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 18-02-2021

अपील विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 206 दिनांक 02.06.1993 ग्राम औगाढ़, तहसील शाहबाद

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.06.1993 ग्राम औगाढ़ को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम औगाढ़ तहसील शाहबाद के खाता संख्या 60 वर्तमान खाता संख्या 214 की आराजी किता 20 कुल 27.14 बीघा, भूमि के खातेदार माना पुत्र पन्नू जाति किराड निवासी औगाढ़ तहसील शाहबाद जो अपीलान्ट्स के पिता थे के फोत हो जाने के कारण इनकी विरासत का प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 206 ग्राम औगाढ़ को तहसीलदार शाहबाद द्वारा मृतक के वैध वारिसान अपीलान्ट्स व अपीलान्ट्स की मां दक्खो के नाम खोला गया है अपीलान्ट्स की मां दक्खो का देहान्त हो चुका है इस प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम सूरजसिंह के स्थान पर सूरतसिंह गलत रूप से लिख दिया गया जबकि अपीलान्ट क्रम 1 का सही नाम सूरजसिंह ही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:29 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट क्रम 1 का आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड मतदाता परिचय पत्र एवं बैंक खाता में सभी जगह सूरजसिंह ही नाम दर्ज है लेकिन प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम गलत रूप से सूरतसिंह लिख दिये जाने से अपीलान्ट क्रम 1 को भारी परेशानी हो रही है।

उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट्स को कोई सूचना दिये बिना खोला जाकर अपीलान्ट क्रम 1 का गलत नाम लिखकर तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्टस को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.12.2020 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम सूरतसिंह गलत दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट क्रम 1 का सही नाम सूरजसिंह है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम सूरतसिंह गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्ट क्रम 1 का नाम सूरजसिंह है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र से साबित होता है। ग्राम औगाढ़ के खोले गये नामान्तरकरण में सूरजसिंह के स्थान पर सूरतसिंह दर्ज हो जाना, उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम औगाढ़ का इंतकाल नं. 206 दिनांक 02.06.1993 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 206 दिनांक 02.06.1993 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुंनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:29 IST
Reason: SelfAttested